

पत्रांक - 182 दिनांक - 8/1/2020

अनुसूची 21 - प्रपत्र सं० 113

संपत्ति-अवभार - प्रमाण-पत्र

प्रमाणक सं०.....20

आवेदन सं०.....20

चौकी श्री NAREN KUMAR MODI, Secretary Toki Pur Primary Teacher Training Institute Toki Pur B.ED College से पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्वाचित संव्यवहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में ता० 1.1.2011.....20 से ता० 31.12.2020 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला :- नहीं

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MOUZA TOKI PUR No 19 TOUZIN-552 J.B24 Part Plot N. 353 Area- 66.66 66.66 66.66 <u>Total Area- 199.98</u>	16/8/2010 7/1/2011 20/3/15	TOKI PUR B.ED Collage Toki Pur Noren kumar Modi TOKI PUR Primary Teacher Training Institute Noren kumar Modi TOKI PUR Primary Teacher Training Institute Toki Pur	Bak-h-Shush Hubban Khan and others	Noren kumar Modi Secretary	23 1 7	2010 2011 2015	187 212 313 332 15 30

- (क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
- (ख) 1 बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बस कि इनके बारे में उल्लेख हो :
- 2 पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- Ram Bachan Singh

(पदनाम) :- Clerk

तालाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :- Ram Bachan Singh

(पदनाम) :- Clerk

कार्यालय जिला अवर निबंधक
कार्यालय दुमका
तारीख 7-1-2020



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
जिला अवर निबंधक
दुमका

- टिप्पणी
- (1) इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
 - (2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी।
 - (क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।
 - (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने आपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढ़े गये संव्यवहारों और अबभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो। अनुक्रमणियों की तलाशी अपने आवेदक की छाँट से ही स्वयं किया
— किसी तरह की गलतियाँ- आ का पता नहीं चला

Jahn
Deputy Collector, Dumka.